

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
श्रीमति टीना डावी, आई.ए.एस.  
नम्बर:-61/2019 प्रार्थना पत्र  
मोदीलाल पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वनाम  
श्री मूला पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री सोहन पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री मथुरा पिता लेहरू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री रामनाथ पिता जस्सा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री भेरू पिता डालू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री भेरू पिता गोमा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री लक्ष्मण पिता उदा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री डालू पिता उदा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री माधू पिता मोड़ा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान)  
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रायड़ा पटवार तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 39/7, 341/22 कुल कित्ता रकबा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काशत की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 10 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 10 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काशत करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में अपने पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः



उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत किया जाकर ग्राम रायड़ा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 39/7, 341/22 कुल किता 2 रकबा 17 बिस्वा भूमि भूमि की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख क. पुर को 250/-रूपये (दो सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की प्रती/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को सूचना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपसचिव अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा



निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपसचिव अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा